उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 , उदयपुर

गोवर्धन विलास अहमदाबाद रोड़ , उदयपुर (राज0)

(निविदा सूचना क्रमांक 1393 दिनांक 17.08.2026)

तकनीकी निविदा प्रपत्र

भाग – "अ"

1. निविदा प्रपत्र संख्या : ....
2. निविदा सन्दर्भ : 17/2026–27
3 निविदा विषय : दुग्ध संघ उदयपुर पर पशुआहार की बोरिया ट्रको से खाली कराई एवं भराई कार्य की आपूर्ति बाबत्।
4 निविदा अवधि : एक वर्ष
5. ई–निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की दिनांक : दिनांक 17.08.2026 सायं 05.00 बजे से
(From govt site:http://eproc.rajasthan.gov.in)
6. ई–निविदा प्रपत्र अपलोडोडिंग की अन्तिम दिनांक व समय : दिनांक 24.08.2026 अपरान्ह 04.00 बजे तक
7. ई–निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि और ई– निविदा प्रोसिसिंग शुल्क के मूल डिमांड ड्राफ, प्रपत्र पीएण्डआई अनुभाग में जमा कराने की दिनाक व समय : दिनांक 25.08.2026 अपरान्ह 01.00 बजे तक
8. तकनीकि ई–निविदा प्रपत्र भाग अ खोलने की दिनांक व समय : दिनांक 26.08.2026 अपरान्ह 11.30 बजे
9. वित्तीय ई–निविदा प्रपत्र भाग ब खोलने की दिनांक व समय : बाद में सूचित किया जावेगा।
10. निविदा प्रपत्र शुल्क : रू. 1180/–(1000+18%GST)
(DD in favour of Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd, Udaipur)
11. धरोहर राशि शुल्क : रूपया 25,000/–
(DD in favour of Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd, Udaipur)
12. ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क : रूपया 500/–
(DD in favour of MD, RISL Jaipur)
13. क्या आपका कोई भी रिश्तेदार दुग्ध संघ में स्थाई पद पर कार्यरत है, अगर हां तों उनका नाम एवं निविदादाता सें ....
सम्बन्ध उल्लेखीत करें– ....
14. क्या आप या आपका कोई भी रिश्तेदार दुग्ध समिति के सचिव/कर्मचारी प्रबन्धकार्यकारीणी के सदस्य है। यदि ....
हां तो समिति का नाम एवं पद का उल्लेख करे ....
15. निविदा दाता द्वारा भरी जाने वाली दरें : कृपया निविदा प्रपत्र भाग "ब " (BOQ) में अंकिंत करे
16. निविदादाता का नाम एवं पता : ....
....
फोन न./मोबाईल न. ....
17. निविदा खोलने का स्थान : उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 , उदयपुर गोवर्धन विलास अहमदाबाद रोड़ , उदयपुर (राज0)

नोट – निविदा सूचना में विवरण अनुसार तीनो मूल डिमान्ड ड्राफ (ई–निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि और ई–निविदा प्रोसिसिंग शुल्क) सम्बन्धित कार्यालय के पीएण्डआई अनुभाग मे उपस्थित होकर जमा करावे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LIMITED
GOVERDHAN VILAS, AHMEDABAD ROAD, UDAIPUR

PART A
Technical & Pre Qualification Bid
E-Tender for Cattlefeed bags unloading /loading work

(Tender Notice No. 1393 Dated 17-08-2026)

1. Name and full postal address --
   of firm submitting the application --
   Form (Block letters) --
   Phone No. ------------------------------ Mobile No. ------------------------------
2. Nature of Firm :- Proprietor/Partnership/Company/Others (Specify)
3. To be filled by the tenderer himself :-

(i) Tender form fee :Rs.____________________vide
D.D.No.____________________
Name of Bank____________________
Dated____________________

(ii) Earnest Money Details : :Rs.____________________vide
D.D.No.____________________
Name of Bank____________________
Dated____________________

(iii) E-tender processing fee : :Rs.____________________vide
D.D.No.____________________
Name of Bank____________________
Dated____________________

Note :- Physical deposition of all three demand drafts (for tender form fee, E-tender processing fee and earnest money) should be submitted manually in the office of Tendering Authority before 1 PM of 25-08-2026 as specified in tender notice.

Signature of Tenderer

- भाग अ के साथ निम्न कागजात की स्वहस्ताक्षरित प्रति अपलोड करे।

1. जीएसटी नम्बर ....।(यदि फर्म जीएसटी के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो)
2. ईएसआई कूट संख्या..................................।
3. भविष्य निधि कूट संख्या...............................।
4. पेन न. की छाया प्रति एवं न............................।
5. निविदादाता फर्म को पिछले वित्तीय वर्षों (2021—22, 2022—23, 2023—24, 2024—25, 25—26.) में से किसी भी तीन वित्तिय वर्षों का औसत टर्न ओवर प्रमाण पत्र जो चार्टेड अकाउन्टेड द्वारा प्रमाणित हो (युडीआईएन सहित) संलग्न करना आवश्यक होगा। औसत टर्न ओवर 5,00,000 रू. से कम नहीं होना चाहिये।
6. टर्न ओवर की पुष्टि के लिये उन्ही वित्तिय वर्षों की बेलैंस सीट, लाभ—हानि खाता अपलोड करना आवश्यक है।
7. श्रमिक अनुबन्ध लाईसेन्स संख्या............................।
8. निविदाता फर्म को पिछले वित्तिय वर्षों (2021—22, 2022—23, 2023—24, 2024—25,2025—26) में से कम से कम तीन वर्षों का किसी भी सहकारी संघ में पशुआहार लोडिंग—अनलोडिंग का अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
9. हस्ताक्षरित निविदा प्रपत्र ।
10. अडंरटेकिंग एण्ड डिक्लेरियेशन ANNEX – C,1,2,3,4
11. निविदा प्रपत्र शुल्क (ई—निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि और ई— निविदा प्रोसिसिंग शुल्क) की डी डी की स्केन प्रति ।
12. पता प्रमाणित हेतु कोई भी एक राशन कार्ड, मतदाता कार्ड,विघुत बिल, आधारकार्ड इत्यादि।
13. निविदादाता अपराधिक प्रवृति का नही होना चाहिए, इस हेतु पुलिस थानाधिकारी से वैध प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपलोड करना होगा।

- निविदादाता द्वारा निविदा दर निर्धारित प्रपत्र भाग ब के **BOQ** मे भरी जावे। उपरोक्त निविदा दर पर नियमानुसार जीएसटी देय होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LIMITED
GOVERDHAN VILAS, AHMEDABAD ROAD, UDAIPUR

Instructions for uploading E-tender form & documents:-

1. **Submission of E-Tender Form & Document**: (Only through Online procedure)

Please read carefully the steps of submitting Tender form Online & also you have to follow instruction of e-procurement site for filling E-tender form. E-Tender form should be uploaded separately in two parts, viz. **PART A & PART B (unpriced & priced)**.

PART A : Before Uploading **UNPRICED TENDER**, it should be ensured that all the Technical & Commercial details including conditions of contract & relevant documents etc. **(duly digitally/physically signed by tenderer)** & Scan copy of Tender form fee, Earnest Money & E-tender processing fees **(DD/payorder)** are ready for uploading.

If scan copy of documents metioned page no. 3 (Clearly visible) are not uploaded with Part-A of Tender form, Part-B of that tenderer will not be opened/consider for finalization of the tender work. In addition to it please ensoure

1. **Submission of Demand Draft**
    a) **Scan copy of Demand Draft for Tender form fee, Earnest Money & E-tender processing fee.**
    b) **Physical deposition of all three demand drafts before 1 PM of 25-08-2026 as specified in tender notice.**

PART B : **PRICED TENDER fill** with **Schedule of Rates duly filled** (only in prescribed format BOQ in .xls format), **digitally signed on that page**.

(a) Interested party/bidder/tenderer can be download tender form from official website *http://eproc.rajasthan.gov.in*
(b) Tenderer who wish to participate in this tender will have to register on *http://eproc.rajasthan.gov.in* To participate in online tenders, tenderer will have to procure digital signature certificate (type III) as per information technology Act-2000 using which they can sign their electronic tender documents. Tenderer can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, safecrypt, Ncode etc. or they may contact e-procurement cell, Department of IT &C, Government of Rajasthan for further assistance. Tenderer who have a valid digital certificate need not procure a new digital certificate.
Address:- e-procurement Cell, RISL, Yozana Bhawan, Tilak Nagar, C-Scheme, Jaipur
(c) Tenderer shall submit their offer on line in electronic formats both for technical and financial proposal however Demand Draft for tender form fee, E-tender processing fee and earnest money should be submitted manually in the office of Tendering Authority (Udaipur Dairy, Goverdhan Vilas, Ahmedabad Road, Udaipur) before date & time of opening of technical bids as mentioned in tender notice. Scanned copy of Demand Draft should be uploaded along with online bid.
(d) Tender form & handwritten rates would not be accepted in Tender Box.
(e) The quoted rate should be filling (on the basis of rupees per bag) in prescribed format of PART B of tender form (.xls BOQ) only.

Signature of Tenderer

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,

गोवर्धन विलास, अहमदाबाद रोड़, उदयपुर (राज.)

निविदा सम्बन्धी सामान्य शर्तें

(1) निविदा प्रपत्र दो भागो में भाग (अ) तकनीकी निविदा एवं भाग (ब) वित्तीय निविदा के रूप में विभाजित है।

(2) पूर्ण भरे हुए निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। भागीदारी के केस में किसी भी एक भागीदार द्वारा, जिसके हक में मुख्त्यारनामा (पॉवर ऑफ अटोर्नी) होगा, हस्ताक्षरित किया जावेगा। साथ में भागीदारी सम्बन्धी वैध दस्तावेज संलग्न किये जाने हेांगें। पंजीकृत कम्पनी / समस्त भागीदारों को अनापत्ति प्रमाण प्रत्र सलग्न करना आवश्यक होगा व अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कों निविदा प्रपत्र भरने का अधिकार प्रत्र मूल ही सलग्न करना होगा। उक्त दस्तावेजो की अनुउपलब्धता होने पर निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिये जावेंगें।

(3) निविदादाता अयोग्य, ब्लैक लिस्टेड, अव्यस्क एवं न्यायालय से दिवालिया घोषित नही होना चाहिये।

(4) निविदा प्रपत्र पर नाम पता व सम्पर्क व्यक्ति का नाम, फोन न. स्पष्ट रूप सें अकिंत होने चाहिए । उक्त पते पर व्यक्ति को भेजी गई डाक प्राप्त कर ली गई मान ली जावेगी चाहे वह निविदादाता को प्राप्त हो या न हो।

(5) निविदादाता द्वारा निविदा प्रस्तुत के साथ **उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. उदयपुर** के हक में रू. 25,000/-(अक्षरे पचास हजार मात्र) डिमान्ड ड्राप्ट जिसका भुगतान उदयपुर में देय हो (Payable at Udaipur) धरोहर राशि के रूप में सलग्न करना होगा। **चैक स्वीकार नही किये जायेंगें।** धरोहर राशि के अभाव में निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिया जावेगा। पूर्व में जमा धरोहर राशि स्वीकार नही की जावेगी। दुग्ध संघ द्वारा धरोहर राशि पर ब्याज देय नही होगा।

(6) निविदादाता दुग्ध संघ के किसी भी उदयपुर दुग्ध संघ कर्मचारी का प्रथम डिग्री रिश्तेदार नही होना चाहिये। (प्रथम डिग्री से तात्पर्य है कि कर्मचारी के पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी सें है)।

(7) निविदादाता उदयपुर दुग्ध संघ की किसी भी दुग्ध समिति का सचिव अथवा अन्य कर्मचारी या प्रबन्धकार्यकारीणि का सदस्य अथवा सचिव का प्रथम डिग्री रिश्तेदार नही होना चाहिये। (प्रथम डिग्री से तात्पर्य है कि कर्मचारी के पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, सें है)।

(8) निविदा प्रेषित करने वाले निविदा दाता से यह अपेक्षा की जाती है कि उसने समस्त शर्तें एवं नियमों को पढ़ लिया, तत्पश्चात् ही उसने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये हैं।

(9) वे निविदादाता जो वर्तमान में संघ मे सिटी सप्लाई परिवहन, सुरक्षा व्यवस्था, ग्रामीण दुग्ध उत्पादक समितियां/बीएमसी से टेंकर दुध परिवहन, सरस दुध उत्पादों के वितरक तथा पशुआहार स्टोर पर किसी भी कार्य अनुबंध के अन्तर्गत कार्य कर रहें हो वो किसी प्रकार से यह निविदा भरने के लिए पात्र नहीं होगा। (निविदादाता को अपने लेटर हेड पर उक्तानुसार अंडर टेकिंग अपलोड करनी होगी।)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

(10) यदि स्वीकृत अनुबन्धक द्वारा कार्य समय में शुरू न करने की स्थिति में अथवा अनुबन्ध के इकरार पर हस्ताक्षर करने से मना करने पर संध कार्यालय में जमा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है

(11) स्वीकृत निविदादाता को संघ कार्यालय में बतौर अमानत राशि रूपये 2,00,000/—अक्षरे रू. दो लाख मात्र बैंक डी.डी. द्वारा जमा करानी होगी। जो अनुबन्ध समाप्त होने के तीन माह बाद पूर्ण रूप से बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही निकलवायी जा सकेगी। जिस निविदादाता को स्वीकार कर लिया जावेगा उसकी धरोहर राशि को अमानत राशि में समायोजित कर लिया जावेगा। इसके लिए निविदादाता को अमानत राशि की मूल रसीद इस कार्यालय को समर्पित करनी होगी। दुग्ध संघ में जमा अमानत राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

(12) निविदा अवधि सामान्यतया कार्य आदेश दिये जाने से **एक वर्ष** के लिए मान्य होगी त्तपश्चात यदि निविदाकर्ता का कार्य सन्तोषप्रद पाया जाता है तो आपसी सहमति के पश्चात् पुनः उन्ही नियम एवं शर्तो पर अनुबन्ध एक वर्ष की अवधि के लिए अभिवृद्धि की जा सकेगा। साथ ही संघ द्वारा सामयिक परिस्थितियो के मद्देनजर संघ हित में कोई अतिरिक्त शर्त जोडी जाती है तो उसे अनुबन्धक को स्वीकार करना होगा। निविदा अवधि के पश्चात अनुबन्ध उन्ही नियम एवं शर्तो पर तीन माह के लिए बढाया जा सकेगा । जिसके लिए निविदादाता को मना करने का अधिकार नही होगा। अनुबन्ध अवधि के दौरान यदि अनुबन्धकर्ता का कार्य असन्तोषप्रद पाया जाता है या संघ विरोधी किसी भी गतिविधि के होने पर प्रबन्ध संचालक के पास अनुबन्ध निरस्त करने के पूर्ण अधिकार रहेगा।

(13) स्वीकृत निविदादाता स्वीकृत अनुबन्ध को किसी और को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा, यदि ऐसा पाया गया कि अनुबन्ध किसी और को दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में प्रबन्ध संचालक के पास अनुबन्ध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित हैं।

(14) अनुबन्धक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसे आबंटित कार्य निर्दिष्ट समय में पूरा करावें।

(15) अनुबन्धक द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का पालन न करने पर प्रबन्ध संचालक द्वारा किसी भी समय बिना नोटिस अनुबन्ध को रद्द किया जा सकेगा एवं नया अनुबन्ध भी कर सकेगा, इसके फलस्वरूप संघ को हुये हर्जे खर्चे अथवा अंतर की राशि संबंधित अनुबन्धक से वसूल की जावेगी।

(16) किसी भी प्रकार के वाद विवाद की कानूनी कार्यवाही हेतू प्रथम अपिलिय अधिकारी अध्यक्ष उदयपुर दुग्ध संघ व द्वितीय अपिलिय अधिकारी प्रबन्ध संचालक महोदय आर.सी.डि.एफ. जयपुर अधिकृत रहेंगे।

(17) सर्व विवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर होगा।

(18) किसी भी प्रकार की रिश्वत, कमिशन, उपहार, अग्रिम किसी अधिकारी / कर्मचारी को नहीं देगा । अगर इस प्रकार का वाक्या पाया गया तो अनुबन्ध तुरन्त रद्द किया जा सकता है एवं समस्त हानियों का पुनर्भरण उसके बिल अथवा जमा अमानत /सिक्युरिटी राशि में से किया जा सकता है।

(19) अनुबन्धक को उसके द्वारा लगाये गये समस्त श्रमिकों का परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य होगा।

(20) अनुबन्धक को श्रम कानुन की पालना नियमानुसार करनी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

(21) प्रबन्ध संचालक / गठित कमेटी को यह अधिकार होगा कि यदि प्रेषित दरें असाधारण हो तो प्रेषित न्युनतम दर वाले निविदादाता से उसे नेगोशिऐसन कराने का पूर्ण अधिकार होगा।

(22) प्रबन्ध संचालक को यह अधिकार होगा कि वह संघ हित में नियमों व शर्तों में कुछ भी शर्त जोड़ सकता है, कम कर सकता है या बदलाव कर सकता है। जो अनुबन्धक को मान्य होगी।

(23) अगर निविदादाता जीएसटी/कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड है तो प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा और जो निविदादाता जीएसटी के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नही है तो उन्हे जीएसटी का भुगतान अलग से देय नहीं होगा।

(24) अनुबन्धक को अपना बिल प्रति माह की 2 तारीख तक निर्धारित नये प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। जिसमें पशुआहार की बोरिया खाली कराई व ट्रक में भराई की राशि व जीएसटी राशि दोनो का अलग–अलग विवरण दर्शाया होना चाहिए। समझ नही आवे तो प्रभारी लेखा वित्त दुग्ध संघ उदयपुर से वार्ताकर समझे तत्पश्चात ही बिल बनावे। प्रत्येक बिल का भुगतान रेखांकित चैक द्वारा ही किया जाना संभव होगा।

(25) स्वीकृत निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध प्रतिपादित करना होगा जिसमे होने वाला खर्च निविदादाता को वहन करना होगा।

(26) निविदा भरने के निर्देशों का पालन नहीं करने पर एवं निविदा प्रपत्र अपूर्ण भरने पर प्रेषित निविदा रद्द की जा सकेगी ।

(27) संघ में जमा धरोहर राशि निविदा खुलने की दिनांक से तीन माह के अन्दर लौटाई जा सकेगी जिस पर ब्याज देय नहीं होगा।

(28) संघ कार्यालय में जमा धरोहर राशि जब्त की जा सकती है यदि स्वीकृत अनुबन्धक कार्य निर्धारित समय में शुरू न करे अथवा इकरार पर हस्ताक्षर करने सें मना करे।

(29) यदि दी गई समयावधि में स्वीकृत अनुबन्धक कार्य करने में असफल रहता है तो ऐसी परिस्थिति में संघ को यह अधिकार होगा कि किसी अन्य की सेंवायें ले सकेगा एवं स्वीकृत अनुबन्धक इसके लिये उतरदायी होगा कि यदि अन्य को स्वीकृत दर से ज्यादा भुगतान संघ से करना पड़ता है तो स्वीकृत अनुबन्धक से वसूल करते हुये संघ उचित समझे तो उस अनुबन्ध को रद्द कर सकता है।

(30) निविदा खुलने के बाद प्रेषित की गई दर निर्णय हेतु अगले तीन माह के लिए वैद्य मानी जावेगी।

(31) एक से अधिक निविदादाताओं की दर बराबर पाई जाती है तो निविदा दर की तुलना कुल लागत राशि(मुल दर, जीएसटी, अतिरिक्त व्यय आदि) को आधार मानकर की जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

उदयपुर डेयरी , उदयपुर

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,
गोवर्धन विलास, अहमदाबाद रोड़,
उदयपुर (राज.)

नोट : कृपया पूरे निर्देश पढ़कर समझें व समझ नहीं आवें तो प्रभारी (पीएण्डआई) से वार्ता कर समझे तत्पश्चात् ही निविदा भरें। बाद में किसी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा।

विशेष शर्तें एवं कार्य का विवरण

1. यह कि अनुबन्धक को उसके द्वारा लगाई जाने वाली श्रमिकों से प्रबन्ध संचालक या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के निर्देशों के अनुरूप ही कार्य करवाना होगा। परन्तु श्रमिकों के कार्य का सुपरविजन स्वयं अनुबन्धक अथवा उसके प्रतिनिधि को करना होगा। सुपरवाइजर का संघ परिसर में उपलब्ध होना आवश्यक है। सुपरवाइजर का नाम पता, टेलीफोन नम्बर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संघ को उपलब्ध कराना होगा। पारी के प्रारम्भ में प्रभारी (पीएण्डआई) को रिपोर्ट करना होगा।

2. पशु आहार की बोरियों को सावधानी से लोड़िंग अनलोड़िंग करना होगा। लोडिग अनलोडिग के दौरान श्रमिकों द्वारा हुक का प्रयोग नही किया जायेगा। हुक लगाने से कट्टों के फट जाने अथवा माल की हानि होने पर उक्त दिवस पर माल की प्रचलित दरें प्रति क्रि.ग्रा. से वसूली मय शास्ती रू. 500/– प्रतिदिन की जायेगी।

3. अनुबन्धक को भुगतान प्रति पशु आहार बोरी के हिसाब से होगा एवं ट्रक से ट्रक में माल (पशु आहार) का भी अंतरण करने पर एक बार लोड़िंग अनलोड़िंग माना जावेगा।

4. अनुबन्धक के श्रमिकों को वर्दी पहन कर ही ड्यूटी पर आना होगा । वर्दी जो अनुबन्धक द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी, इस प्रकार की होगी – संघ द्वारा निर्धारित कलर की फूल पेन्ट तथा हाफ शर्ट साफ सुथरी पहनकर आना होगा। अगर कोई भी श्रमिक बिना वर्दी के ड्यूटी पर पाया गया तो श्रमिक अनुबन्धक पर रूपये 10/– (दस) प्रतिदिन प्रतिश्रमिक बतोर पेनाल्टी लगाई जा सकेगी।

5. प्रबन्ध संचालक अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्देशों के बावजूद अनुबन्धक द्वारा श्रमिक उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर अथवा उपलब्ध श्रमिक से दुग्ध संघ को कोई नुकसान पहुंचाने , तोड़फोड़ करने एवं कार्य के प्रति असावधानी बरतने पर दुग्ध संघ को होने वाली समस्त हानि अनुबन्धक से वसूल की जायेगी जिसके लिए अनुबन्धक पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेदार रहेगा।

6. अनुबन्धक द्वारा लगाये गये श्रमिक द्वारा अनियमित कार्य करने / काम के प्रति लापरवाही करना पाया जाता है तो उदयपुर दुग्ध संघ को यह अधिकार होगा कि वह अनुबन्धक पर शास्ती आरोपित करे, जो कि उसके द्वारा प्रेषित बिल में से काट ली जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

7. प्रबन्ध संचालक या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के बिना लिखित स्वीकृती के श्रमिक द्वारा कोई सामान किसी प्रकार का संघ सीमा से बाहर नहीं ले जा सकेगा ।
8. संघ हित में प्रबन्ध संचालक को यह अधिकार होगा कि किसी भी श्रमिक द्वारा संघ हित में कार्य न करने व लापरवाही बरतने पर कभी किसी भी समय अनुबंधित श्रमिक की जगह नया श्रमिक लगाने का श्रमिक अनुबन्धक को आदेश दे सकेगें।
9. श्रमिक अनुबन्धक को स्वयं के द्वारा श्रम कानूनों के तहत रिकाड़ रखना होगा इसे श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर भी रखना होगा, तथा उपस्थिति रजिस्टर की एक प्रतिलिपि बिल के साथ संलंग्न करनी होगी।
10. श्रमिक अनुबन्धन कारखाना (फैक्ट्री) एक्ट के तहत माना जावेगा एवं यह उसका दायित्व होगा कि वह श्रमिकों का भुगतान संघ सीमा में संघ अधिकृत अधिकारी के सानिध्य में ही करें एवं भुगतान प्रमाणित करवाना होगा। इस अधिनियम से संबंधित रिकाड़/दस्तावेज तैयार करने की जिम्मेदारी स्वयं श्रमिक अनुबन्धक की होगी।
11. अनुबन्धक को भविष्य निधि एवं ई.एस.आई. जमा कराने संबंधी परिपत्र/चालान अगले माह की 15 तारीख तक बिल के साथ देने होगें, इसके अभाव में नियमानुसार उचित प्रतिशत की दर से राशि अनुबन्धक के बिल से काट कर संबंधित विभाग में जमा करवा दी जावेगी।
12. अनुबन्धक का यह दायित्व होगा कि उपलब्ध कराये जाने वाले श्रमिक 18 वर्ष से कम उम्र के न हो तथा किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित न हों।
13. अनुबन्धक द्वारा नियुक्त श्रमिकों की मेडिकल जांच स्वयं के खर्चें पर ठेका अवधि में प्रतिवर्ष में दो बार कराकर प्रबन्ध प्रतिनिधि (आई.एस.ओ.) (MR ISO) को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. कार्य का प्रकार प्रबन्ध संचालक या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा तय किया जा सकेगा एवं यह अधिकार भी होगा कि संघ हित में कार्य का प्रकार बदला जा सकेगा, ऐसी स्थिति में श्रमिक अनुबन्धक को इस पर ऐतराज करने का अधिकार नहीं होगा व साथ ही अन्य किसी प्रकार का मुवावजा मांगने का अधिकार भी उसे नहीं होगा।
15. अगर श्रमिक द्वारा छलकपट अथवा चोरी की गई है उसका वास्तविक मूल्य श्रमिक अनुबन्धक से काटा जावेगा व साथ ही अनुबन्धक पर पेनाल्टी भी लगाई जा सकेगी।
16. **श्रमिक अनुबन्धक इस बात के लिए बाध्य होगा कि यदि किसी भी समय कोई भी श्रमिक बीमार हो जाये अथवा कोई दुघर्टना घट जावे तो उसके स्थान पर दूसरा श्रमिक उसी समय लगाना होगा एवं घायल/बीमार श्रमिक की चिकित्सा, उपचार, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत दुर्घटना दावा इत्यादि की जिम्मेदारी अनुबन्धक की होगी। इस हेतु प्रत्येक श्रमिक का दुर्घटना बीमा किया जाना आवश्यक होगा । दुर्घटना बीमा करवाकर बीमा पोलीसी की एक प्रति दुग्ध संघ को उपलब्ध करानी होगी।**
17. श्रमिक अनुबन्धक को समस्त रेकाड़ जैसे भविष्य निधि एवं लाईसेन्स आदि सही हालात में रखना होगा एवं आवश्यकता एवं निरीक्षण हेतु संबंधित अधिकारियों को समय –समय पर उपलब्ध कराने होगें, इसके लिये प्रबंध संचालक किसी भी परिस्थिति में उतरदायी नहीं होगा। इसके अभाव में होने वाले किसी भी प्रकार की हानि, हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी अनुबन्धक की होगी एवं प्रबन्घ संचालक उचित समझे तो इस पर पेनाल्टी भी आरोपित कर सकेगें।
18. आयकर के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक बिल में से स्त्रौत पर कर की कटौती नियमानुसार की जावेगी। एवं अनुबन्धक को अपना पेन कार्ड़ नम्बर (PAN CARD NO.) देना होगा।
19. पशु आहार ट्रक गोदाम पर पहुंचने के एक घंटे में कार्य आरम्भ करना होगा, अन्यथा बाहर के श्रमिकों को बुलाकर गाड़ी खाली करवायी गयी तो हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी अनुबन्धक की होगी एवं उसकी वसूली अनुबन्धक के बिल में से कर ली जावेगी एवं उचित समझे तो इसके लिए अनुबन्धक पर पेनाल्टी भी आरोपित की जा सकेंगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

20. यह कि अनुबन्धक को दर प्रति पशु आहार बोरी के हिसाब से अंकों एवं शब्दों में लिखकर देनी होगी। अकों में लिखी गयी दर में किसी प्रकार का संशय होने पर शब्दों में लिखी गयी दर को ही सही एवं अन्तिम माना जावेगा।
21. निर्धारित अथवा मांग के अनुसार श्रमिक उपलब्ध नहीं करवाने पर 500/— रूपये अक्षरे पांच सौ रूपये प्रति ट्रक के हिसाब से शास्ती आरोपित की जा सकेगी।
22. अनुबन्धक को उसके द्वारा लगाये जाने वाले <u>श्रमिकों का भुगतान न्यूनतम वेतन अधिनियम, कारखाना अधिनियम आदि सभी ध्यान में रखकर ही करना होगा</u> इसके संबंध में यदि किसी विभाग द्वारा कोई शिकायत/दावा प्राप्त होता है तो उसके लिए अनुबन्धक स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेगा।
23. अनुबन्धक को श्रम कानूनों की पालना करनी होगी एवं यह अनुबन्धक का दायित्व होगा कि वह समय पर भविष्य निधि, ई.एस.आई. एवं जीएसटी आदि का भुगतान संबधित विभाग में कर चालान मय जमा रसीद की छाया प्रति बिल के साथ कार्यालय में पेश करे।

24. **अनुबन्ध की समयावधि पूर्ण होने पर अनुबन्धक द्वारा भविष्य निधि, ई.एस.आई. आदि से बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही सिक्युरिटी राशी लौटाई जावेगी।**

25. श्रमिक अनुबन्धक को स्वयं के द्वारा श्रम कानून के तहत एवं उद्योग कानून एवं अन्य लागू कानून के तहत उचित परिपत्र एवं रिकाड़ रखना होगा। उसे श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा।

26. श्रमिकों को मासिक मजदूरी भुगतान श्रम अधिनियमों से निर्धारित तिथि अथवा उससे पूर्व करना होगा। अनुबन्धक को संघ से भुगतान एवं श्रमिकों को अनुबन्धक द्वारा भुगतान पृथक—पृथक मुद्दे हैं। संघ से किन्हीं कारणों से अनुबन्धक कों भुगतान न होने के बावजूद श्रमिकों का नियत तिथि तक भुगतान करना अनुबन्धक की जिम्मेदारी होगी। समय पर भुगतान नही करने पर रू. 1000/— प्रतिदिन शास्ति लगाई जा सकेगी।
27. श्रमिक अनुबन्धक को भविष्य निधि , कर्मचारी बीमा, जीएसटी आदि नियमानुसार समयबद्ध जमा करा कर रिटर्न भरना होगा। इस संबंध में सम्पूर्ण दायित्व निविदादाता का होगा। अन्यथा अगले माह का भुगतान रोक लिया जावेगा,
जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धक स्वयं की होगी। साथ ही निर्धारित अवधि तक एक भी चालान अथवा रिर्टन प्रस्तुत करना शेष रहा तो 15 तारीख के बाद रूपये 500/— प्रतिदिन पेनाल्टी लगाई जावेगी तथा इस तरह की घटना ठेका अवधि में तीन बार होने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
28. ठेकेदार को रू. 100/— संघ सदस्यता शुल्क जमा करा कर नोमिनल सदस्यता ग्रहण करनीहोगी।

29. निविदादाता अपराधिक प्रवृति का नही होना चाहिए, इस हेतु पुलिस थानाधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपलोड करना होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 , उदयपुर

गोवर्धन विलास अहमदाबाद रोड़ , उदयपुर (राज0)

फोन न0 – 2640258, 2640188, 2640179, फैक्स – 2640333

(यह फॉरमेट सन्दर्भ हेतु है एवं प्रेषित दरे ऑनलाईन **BOQ** में भरे।)

वित्तीय निविदा प्रपत्र

भाग – "ब"

नाम निविदादाता .... निविदा प्रपत्र संख्या........................

पता ....

....

टेलीफोन न./मो.न. ....

1. निविदा सन्दर्भ : 17/2026–27
2 निविदा विषय : दुग्ध संघ उदयपुर पर पशुआहार की बोरिया ट्रको से खाली कराई एवं भराई कार्य की आपूर्ति बाबत्।

निविदा अवधि – एक वर्ष

प्रेषित दर BOQ में अकिंत करे

निविदादाता द्वारा भरा जावें प्रेषित दर प्रति पशु आहार प्रति बेग के हिसाब से
अंकों में रूपये..प्रति बैग शब्दों में रूपये..प्रति बैग

नोट :–

1. जीएसटी लागू होने पर कर पृथक से देय होगा। समस्त प्रकार के कर की जिम्मेदारी अनुबन्धक की होगी।
2. अंकों एवं शब्दों में लिखी दरों में अन्तर होने पर शब्दों में लिखी दरें ही अन्तिम मानी जायेगी।

दिनांक :

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LIMITED
GOVERDHAN VILAS, AHMEDABAD ROAD, UDAIPUR

Annex-C

DECLARATION/ UNDERTAKING

Tender Work : E-Tender for Cattlefeed unloading/ Loading

(Tender Notice No. : 1393 Dated 17-08-2026)

Name of Tenderer : ....

I/ We hereby declare

- that my/our Tender rates for the above stated work shall remain valid for a period of 3 (three) months from the date of opening. In case of our revoking or cancelling the Tender within the validity period, UDUSS Ltd, Udaipur is entitled to forfeit the Earnest Money Deposit paid by us along with the Tender.
- that my firm is not black listed by any organization.
- No criminal case is pending against me/my firm.
- I do not have any blood relation with UDUSS Employee's (dairy employees/ official's /BOD's member)

Signature of Tenderer

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LIMITED
GOVERDHAN VILAS, AHMEDABAD ROAD, UDAIPUR

Annex-A

Tender Work : E-Tender for Cattlefeed unloading/ Loading

(Tender Notice No. : 1393 Dated 17-08-2026)

Detail :-

Work	Tender Cost (Approx)	Proposed Cattlefeed bag Qty	Required Cash Security Rs in lac	Total Security Amount (Rs)
	(Rs In Lac)	(In bag)		
Loading & unloding of Cattlefeed bags	12.00 Lac	1600 bag per day	Rs 0.25 + 2.00	2.25 lac

Signature of Tenderer

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .
GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002

GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B
Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

Annexure 1: Compliance with the code of Integrity and No. Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

a. not offer any bribe, reward or gift of any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
b. not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
c. not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
d. not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
e. not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to and party or to its property to influence the procurement process;
f. not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
g. disclose conflict of interest, if any; and
h. disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is, considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process, participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same Subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any. of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid: or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Signature of Bidder

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .
GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002

GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B

Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

Annexure 2 : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my / our Bid submitted to Managing Director , Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited , Goverdhan Vilas , Udaipur (Rajasthan) for procurement of ………………… ……….in response to their Notice Inviting bid No………………Dated ……….. I /we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012, that:

l. I/we Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any Local Authority as specified in the Bidding Document.

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities Suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the, commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Date: Signature of Bidder
Place: Name:
Designation:
Address:

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .
GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002
GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B
Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

Annexure 3 : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Chairman , Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited , Goverdhan Vilas, Udaipur (Rajasthan).
The designation and address of the Second Appellate Authority is Managing Director , Rajasthan Co-Operative Dairy Federation Ltd , Saras Sankul, J.L.N. Marg , Jaipur (Rajasthan) .

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable,

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (l) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (l) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-
(a) determination of need of procurement.
(b) provisions limiting participation of bidders in the Bid process.
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations.
(d) cancellation of a procurement process.
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

Signature of Bidder

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (l) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal .

(a) Fee for first appeal shall be rupees Two Thousand Five Hundred and for Second Appeal shall be rupees Ten Thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank Demand Draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank in lndia payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, Up on filing of' appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
(i) hear all the parties to appeal present before him; and
(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter,
(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost,
(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of Bidder

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .
GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002
GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B
Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

FORM No. l
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No................................of…………….............
Before the…..................................... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved.

4. If the Appellant proposes to he represented by a representative, the name and postal address of the representative.
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal ……………………………………………………………
   …….. …………………..(Supported by an Affidavit)

7.Prayer:……
………..

Place …………………………………….
Date……………………………………..

Appellant's Signature

UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .
GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002
GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B
Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

Annexure 4 : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis

i if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
ii if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
iii if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be Disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract. the quantity of Goods, Works or Services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

Signature of Bidder

(iii) In case of procurement of Goods or Services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order- However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original Contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder. whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second Lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of Bidder